



पशु एवं मत्त्य संसाधन विभाग



पशुओं को इयर टैग लगाकर पहचान बनायें सरकारी योजनाओं का लाभ उठायें

सभी पशुओं का टीकाकरण के पूर्व ईयर टैग/कनैली लगाकर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यह टैगिंग पूर्णतः निःशुल्क है। यह पशुओं के लिए आधार कार्ड की तरह है। इसके साथ पशुपालकों को हेल्थ-कार्ड भी वितरित किया जायेगा, जिसे सुरक्षित संधारित रखना पशुपालकों की जिम्मेवारी होगी।

फायदे:

- ईयर टैग के माध्यम से पशुओं एवं उनके मालिकों की पहचान कर उसके ऑकड़े का रिकार्ड रखा जाता है, जिससे सरकार द्वारा चलायी जाने वाली टीकाकरण अभियान का लाभ सुगमता पूर्वक एवं ससमय उपलब्ध होगा।
- पशुओं के बीमा के लिए भी टैगिंग अनिवार्य और लाभदायक है।
- टैग लगाने से खो गए अथवा चोरी हुए पशुओं का पता करना आसान हो जाएगा।
- भविष्य में पशुओं के ऑनलाईन क्रय-विक्रय प्रक्रिया में भी ईयर टैग तथा पशु स्वास्थ कार्ड लाभदायक होगा।
- किये गये टीकाकरण एवं कृमिनाशक दवाओं से डिवर्मिंग के ब्योरे के साथ नस्ल एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता की जानकारी लेना भी टैगिंग से संभव है।
- पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान कार्य की चरणबद्ध प्रगति ऑनलाईन अपडेट करने, नस्ल सुधार को नियंत्रित करने तथा कई बीमारियों के उन्मूलन में मददगार एवं पशुओं के वंशावली का रिकार्ड रखने में टैगिंग सहायक होती है।
- टैगिंग के दौरान टीकाकरण प्रमाण-पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पशुओं को टीकाकरण एवं कृमिनाशक दवा की पूर्ण विवरणी के साथ अगामी तिथि का निर्धारण अंकित रहेगा।

टैगिंग के दौरान क्या करें/क्या ना करें

क्या करें

- ✓ टैगिंग पूर्व कान को एंटीसेप्टीक लोशन (बेटाडीन/सेवलॉन/डेटॉल आदि) से अच्छी तरह साफ करें।
- ✓ टैग लगाने के लिए वेन (सीरा) रहित स्थान का चुनाव करें। खून निकलने की स्थिति में 2–3 बूंद डेटॉल/सेवलॉन/बेटाडीन डालें।
- ✓ टैग लगाने के उपरांत 2–4 दिनों तक टैग वाले कान का गंदगी से बचाव करें। कान के अंदर वाले हिस्से में टैग के फ्लैप को और उपर में मेटल पार्ट को रखें।
- ✓ कान में सूजन या घाव होने की स्थिति में, घाव को एंटीसेप्टीक से साफ कर हायमैक्स या टोपीक्युर मलहम लगायें तथा अन्य आवश्यक उपचार भी यदि जरूरी समझे तो करें।

क्या ना करें

- ✗ पशु को बिना काबू में किए टैग नहीं लगायें।
- ✗ कान के उपरी हिस्से में टैग के फ्लैप को नहीं लगाना है।
- ✗ एप्लिकेटर में टैग लगाकर मेटल वाले भाग में एंटीसेप्टीक लोशन लगाये बिना टैग न लगाएं।
- ✗ एप्लिकेटर में टैग को अच्छी तरह बिना टाईट किये हुए न लगायें। एप्लिकेटर को मेटल भाग टूटने पर बिना बदले टैग न लगावें।
- ✗ पूर्व से 12 डीजिट का अगर टैग लगा हो तो दोबारा टैग न लगायें।



अधिक जानकारी हेतु निकटवर्ती पशुचिकित्सालय/संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय/
बी.एल.डी.ए. पटना (दूरभाष संख्या 0612-2227176)/
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना (दूरभाष संख्या 0612-2230942)
से संपर्क किया जा सकता है।

सभी सरकारी योजनाओं एवं टीकाकरण कार्यक्रम का लाभ केवल ईयर टैग लगे पशुओं को ही देय है।
अतः सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने पशु को ईयर टैग लगावायें एवं योजनाओं का लाभ उठायें।

